उ०ग्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० (उ०ग्र० सरकार का उपक्रम) आठवाँ तल शक्ति भवन मुख्यालय अशोक मार्ग, लखनऊ— 226001



U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (U.P. Govt. Undertaking) 8rd Floor Shakti Bhawan Lucknow Ashok Marg, Lucknow- 226001

पत्रांक

/ मु०म०प्र०(वित्त)/

दिनाँक 31/07/2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी ७००० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

विषय:- जी०एस०टी० से सम्बन्धित दिशा-निर्देश

जैसा कि विदित है दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 लागू हो गया है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशानिर्देश अनुपालन हेत् जारी किये जाते हैं :—

1— जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन : उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० का मुख्यालय स्तर पर जी0एस0टी० नं० प्राप्त कर लिया गया है जो इस प्रकार है : 09AAACU4749D2Z9 | मुख्यालय स्तर पर प्राप्त किये गये जी0एस0टी० रिजस्ट्रेशन का उपयोग इकाईयों /खण्डों द्वारा किया जाना है | इकाई स्तर से जी0एस0टी० से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाना है | यदि किसी इकाई द्वारा जी0एस0टी० में कोई भी अन्य रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है तो उसे तत्काल निरस्त कराते हुए जी0एस0टी० सैल को सूचित करें और उसको निरस्त कराने की प्रक्रिया आरम्भ करें |

जी0एस0टी0 के दायरे में आने वाले संव्यवहार :

- (1)— विद्युत का क्रय/विक्रय (Power Purchase/Sale) : विद्युत का उत्पादन/ क्रय—विक्रय जी०एस०टी० में पूर्णतया कर—मुक्त (Exempted) है।
- (2)- टेण्डर फार्म की बिक्री, स्क्रैप की बिक्री एवं निगम द्वारा अन्य पक्षों को दी जाने वाली सेवाएं :

टेण्डर फार्म की बिक्री पर वर्तमान में 18% जी०एस०टी० लिया जाएगा। निविदा प्रपन्न की बिक्री केवल जी०एस०टी० में रिजस्टर्ड फर्मों को ही किया जाना है। इसी प्रकार स्क्रैप की बिक्री एवं निगम द्वारा अन्य पक्षों को दी जाने वाली सेवाओं पर वर्तमान में 18% जी०एस०टी० लिया जायेगा। ज्ञात हो कि उ० प्र० में बिक्री/सेवाओं पर वसूले गये जी०एस०टी० में CGST(50%) एवं SGST (50%) की देयता होगी एवं उ० प्र० के बाहर बिक्री/सेवाओं पर IGST(100%) की देयता होगी।

(1)— <u>वाह्य एजेन्सियों से क्रय की जाने वाली सामग्री/प्राप्त की जाने वाली सेवाएं</u> : समस्त संव्यवहार केवल जी०एस0टी0 में रजिस्टर्ड फर्मों से ही किया जाना चाहिए। वाह्य एजेन्सियों से क्रय की जाने वाली सामग्री एवं श्रीप्त की जाने वाली सेवाएं निविदा के माध्यम <u>से Exclusive of GST</u> दर प्राप्त की जानी चाहिए।

(२) स्थायी एवं अस्थायी अग्रदाय (РІ/ТІ) : समस्त आहरण—वितरण अधिकारी РІ/ТІ Holders को दिशानिर्देश जारी करेंगे तथा समस्त प्रकार के टी०ए० / टी०आइ० / पी०आइ० से सम्बन्धित वाउचर जी०एस०टी० एक्ट में निर्धारित इन्वाइस के अनुसार ही स्वीकार करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि जी०एस०टी० की देयता होगी तो उसका भुगतान बिल के साथ ही हो जायेगा, अन्यथा की स्थिति में जी०एस०टी० की देयता निगम की होगी।

1

(3)— <u>Payment Voucher</u>: जी0एस0टी0 के RCM के अन्तर्गत किये गये भुगतानों (जिसमें अग्रिम भुगतान भी शामिल है) के लिए Payment Voucher बनाया जायेगा। Payment Voucher का प्रारूप Annexure-C में संलग्न है।

इकाईयाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि जारी किये जाने वाले Tax Invoice/Bill of Supply एवं Payment Voucher निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार क्रमांकित होंगे:—

- Tax Invoice-TI / (Location Code of Unit) / (Financial Year) / (Invoice Number)
- Bill of Supply- BS / (Location Code of Unit) / (Financial Year) / (Bill of Supply Number)
- Payment Voucher- PV / (Location Code of Unit) / (Financial Year) / (Payment Voucher Number)
- Serial number in case of payment voucher will be on the basis of same coding as under heading of Invoice.

Inter-Company Transactions: उत्पादन निगम लि0 की विभिन्न कम्पनियों (JVUNL,MEZA etc.) के मध्य होने वाले Inter-Company Transactions अब जी०एस०टी० के दायरे में आएंगे। यदि एक कम्पनी दूसरी कम्पनी के लिए कोई कार्य करती है अथवा उसे कोई सामग्री भेजती है तो प्रदाता कम्पनी को प्राप्तकर्ता कम्पनी पर जी०एस०टी० चार्ज करते हुए टैक्स इनवॉइस जारी करनी होगी। अतः यदि कोई भी Inter-Company Transactions किए जाते है तो उन ट्रान्जैक्शन पर लागू दर से प्रदाता कम्पनी द्वारा जी०एस०टी० की देयता होगी। ज्ञात हो कि प्रदाता कम्पनी द्वारा चार्ज किया गया जी०एस०टी० प्राप्तकर्ता कम्पनी के लिए इन्पुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा।

Rates of GST: जीoएसoटीo के अन्तर्गत मुख्यतः 5 प्रकार की दरें निर्धारित की गयी हैं 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28% | सभी इकाईयों के आहरण—वितरण अधिकारी अपने स्तर पर प्राप्त होने वाले बीजकों में यह सुनिश्चित करेंगे कि उन पर उचित दर से जीoएसoटीo लगाया गया हो। GST Rates की जानकारी निम्निलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है जहाँ से इसे सत्यापित/प्राप्त किया जा सकता है:

वस्तुओं हेतु:—<u>http://www.cbec.gov.in/resourses//htdocs-cbec/gst/goods-rates-booklet-03July2017.pdf</u>

सेवाओं हेतु:—<u>http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/services-booklet-03July2017.pdf</u>

कर का भुगतान : इकाईयों द्वारा क्रय—विक्रय (यथा टेण्डर फार्म एवं स्क्रैप की बिक्री, इन्टर कम्पनी ट्रान्जैक्शन एवं निगम द्वारा अन्य को दी गयी कर—योग्य सेवाओं इत्यादि) पर वसूला गया जी०एस०टी० (टैक्स) एवं Reverse Charge में देय जी०एस०टी० का भुगतान आहरण—वितरण अधिकारियों द्वारा निगम के जी०एस०टी०आई०एन० पर प्रतिमाह सरकार के खाते में Net banking/RTGS/NEFT के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा। भुगतान के पश्चात चालान की एक प्रतिलिपि मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सैल को प्रेषित की जाएगी।

<u>GST Return</u> : जी०एस०टी० से सम्बन्धित मासिक / वार्षिक रिटर्न मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सैल द्वारा निम्नलिखित अनुसार फाइल किये जायेंगे :

Due date of furnishing earlier three months return are released by the GST council, Due date for first three months is attached hereunder:-

फार्म सं0	विवरण	अन्तिम तिथि
GSTR-1	बिक्री एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण (Particulars of Outward Supply)	अगले माह की 10 तारीख तक
GSTR-2	क्रय एवं ली जाने वाली सेवाओं का विवरण (Particulars of Inward Supply)	अगले माह की 15 तारीख तक
GSTR-3	मासिक रिटर्न (Monthly Return)	अगले माह की 20 तारीख तक
GSTR-9	~ ~ .	अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर तक

उपरोक्त रिटर्न फाइल करने के लिए प्रत्येक माह के अन्त में इकाई स्तर से Inward/Outward Invoices का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में अगले माह की 3 तारीख तक अनिवार्यतः मुख्यालय के जी०एस०टी० सैल में प्रेषित किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप कुछ समय पश्चात मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जाएंगे।

वर्तमान में सरकार ने नई टैक्स प्रणाली की जटिलताओं के दृष्टिगत दो महीने (जुलाई एवं अगस्त 2017) के लिए उक्त रिटर्न बाद में भरने की सुविधा प्रदान की है एवं उक्त 3 रिटर्न के स्थान पर एक अस्थायी रिटर्न भरना होगा। इस रिटर्न में निगम की महीने भर की क्रय—विक्रय आदि का विवरण संक्षेप मे Form GSTR-3B में अगले माह की 20 तारीख तक जमा कराना है।

अतः इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि Form GSTR-3B भरने हेतु निर्धारित सूचनाए जो कि Annexure-D में संलग्न है, मुख्यालय स्थित जीoएसoटीo सैल में अगले माह की 10 तारीख तक प्रेषित करेंगे।

ध्यान रहे Form GSTR-3B की व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था है जिसमें केवल जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 के माह में की गयी क्रय-विक्रय का संक्षेप में ब्यौरा देना है। जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 माह के सम्पूर्ण रिटर्न (Form GSTR-1, Form GSTR-2, Form GSTR-3) September माह में भरे जायेंगे। जिसकी अन्तिम तिथि नीचे दी गयी तालिका में है।

The copy from 3B is attached. Kindly refer Annexure D for the same. Detail to be furnished by the branches to the HQ in the format as specified in form 3B

GST Return	J	uly	Last Date to submi	
	Last date of Filing Earlier	Last date of Filing Now	information by units to HQ	
GSTR-1	10 th August	5 th September	20 th August	
GSTR-2	STR-2 15 th August 10 th September		- August	
GSTR-3	20 th August	15 th September		
GSTR-3B			10 th August	
GST Return	A.,	gust		
	Earlier			
GSTR-1	10 th September	Now 20 th September	5 th September	
GSTR-2			3 September	
GSTR-3	20 th September	25 th September 30 th September		
GSTR-3B	NA	20 th September	10 th September	
GST Return	Septe	ember		

	Earlier	Now	
GSTR-1	10 th October	10 th October	3 rd October
GSTR-2	15 th October	15 th October	-
GSTR-3	20 th October	20 th October	
GSTR-3B	NA	NA	NA

नियमित मासिक रिटर्न (Form GSTR-1, Form GSTR-2, Form GSTR-3) भरने के लिये इकाईयों द्वारा विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप वेबसाइट पर Excel Format में जल्द ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

Invoice/Debit Note/Credit Note :-

जी०एस०टी० नियमों के अनुसार कर—योग्य वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर Tax Invoice एवं कर—मुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर Bill of Supply खण्ड/इकाई के स्तर से जारी किया जाना है। Tax Invoice एवं Bill of Supply के प्रारूप Annexure-A में संलग्न है।

आहरण—वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनको प्राप्त होने वाले समस्त बीजकों में सरकार द्वारा Tax Invoice के लिए निर्धारित सभी बिन्दु होने चाहिए। Tax Invoice में जो बिन्दु अनिवार्य हैं उनकी सूची Annexure-B में संलग्न है।

'As per invoice Rules, Serial number should be a consecutive serial number in one or multiple series, Hence a plan should be initiated from the Head office to provide a coding of all the branches to ensure serial number of invoices to be consecutively to number and to avoid usage of same serial number at multiple invoice. Kindly follow the plan for the same provided by Head Office and ensure only one serial number of invoice in use.' The coding will be mentioned hereunder:- Example.

Headquarter (Lucknow): HQ

TPS Anpara (A): AA

TPS Anpara (B): AB

TPS Anpara (D):AD

TPS Obra(A) :OA

TPS Obra(B):OB

TPS Obra(C): OC

TPS Panki: PP

TPS Parichha 2X110: PA

TPS Parichha 2X210: PB

TPS Parichha 2X250: PC

Harduaganj (C): HC

Harduaganj (D): HD

Invoice एवं Bill of Supply से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का भी अनुपालन करना है -

- a) Invoice जारी करने की समय-सीमा :--
 - वस्तुओं के विक्रय पर :- माल के हटाने पर या उससे पहले (Before or at the time of removal of goods)
 - सेवाओं के प्रदान पर :- सेवा समाप्ति के 30 दिन के अन्दर

- b) वस्तुओं के विक्रय पर Invoice तीन प्रतिलिपि में जारी करना है :-
 - Original प्रतिलिपि क्रेता के लिए
 - Duplicate प्रतिलिपि माल वाहक (ट्रान्सपोर्टर) के लिए
 - Triplicate प्रतिलिपि स्वयं के लिए (Office Copy)
- c) सेवाओं के विक्रय पर Invoice दो प्रतिलिपि में जारी करना है :-
 - Original प्रतिलिपि क्रेता के लिए
 - Duplicate प्रतिलिपि स्वयं के लिए (Office Copy)
- d) CGST Act के Section 33 के अनुसार Tax Invoice जारी करते समय Tax की राशि को पृथक करके दर्शाना आवश्यक है। अर्थात कोइ भी *Invoice Inclusive of Tax* नहीं बनाना है।
- हात हो कि एक बार Tax Invoice जारी होने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए विक्रेता/सेवा प्रदाता को Credit Note अथवा Debit Note जारी करना होगा।

f) Credit Note :-

- ऐसी परिस्थितियां जहां वस्तु एवं सेवा की राशि अथवा Tax की राशि में कटौती होनी है, उन परिस्थितियों में विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा क्रेडिट नोट क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किया जायेगा।
- उदाहरण के तौर पर विक्रेता द्वारा कम अथवा गलत माल भेजना, क्रेता द्वारा माल का वापस कर देना इत्यादि।
- क्रेडिट नोट जारी करने की समय–सीमा–
 - > जिस वित्तीय वर्ष में Supply की गयी हो उसके अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर या
 - वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि
 - में से जो पहले हो, तब तक क्रेडिट नोट जारी किया जा सकता है।
- क्रेडिट नोट जिस माह में जारी किया गया है, उस माह के मासिक रिटर्न में क्रेडिट नोट का ब्योरा देना है।

g) Debit Note :-

- ऐसी परिस्थितियां जहां वस्तु एवं सेवा की राशि अथवा Tax की राशि में बढ़ोत्तरी होनी है, उन परिस्थितियों में विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा डेबिट नोट क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किया जायेगा।
- डेबिट नोट जारी करने की कोई समय—सीमा नहीं है।
- डेबिट नोट जिस माह में जारी किया गया है, उस माह के मासिक रिटर्न में डेबिट नोट का ब्योरा देना है।
- अगर विक्रेता द्वारा क्रेता से देरी से भुगतान करने के कारण किसी प्रकार की Interest,
 Penalty अथवा Late Fees ली जाती है तो उस Interest, Penalty एवं Late Fees को कर—योग्य राशि में जोड़ा जायेगा एवं उस पर जी०एस०टी० लागू एवं देय होगा। ऐसी दशा में विक्रेता द्वारा क्रेता को डेबिट नोट जारी किया जायेगा।

क्रेडिट नोट एवं डेबिट नोट के प्रारूप Annexure B.1 & B.2 में संलग्न है।

Time of Supply :-

CGST Act के Section 12 & 13 में Time of Supply के नियम दिये गये है, जिससे ये निर्धारित किया जा सकता है कि किसी Supply के सन्दर्भ में Tax किस माह मे जमा करना है एवं किस माह के रिटर्न में उस Supply को दर्शाना है। Time of Supply के नियम संक्षेप मे इस प्रकार है :--

Nature of Transaction	Event A	Event B	Event C	Time of Supply
Supply of Goods	Issue of tax invoice	Receipt of payment (even advance payment received)		Whichever is earlier
Tax on receipt of goods payable on reverse charge basis	Receipt of goods	Date of payment to recipient (even advance payment made)	30 days from date of invoice of supplier	Whichever is earlier
Supply of service	Invoice if issued within prescribed time (30 days)	Provision of service if Invoice not issued within prescribed time	Date of receipt of payment from recipient (even advance payment received)	Whichever is earlier
Tax on receipt of service payable under reverse charge	Date of payment to supplier of service	60 days from date of invoice of supplier		Whichever is earlier
Receipt of Interest, late fee or penalty for late payment [common provision for goods and services]	Issue of demand or debit note to recipient of goods or services	Receipt of payment from recipient of goods or services		Receipt of payment from recipient of goods or services

1. Receipt Voucher & Refund Voucher :-

जैसा कि उक्त ''Time of Supply'' नियमों में वर्णित है कि किसी वस्तु एवं सेवा की बिक्री के सन्दर्भ में ली जाने वाली अग्रिम राशि भी जी०एस०टी० के दायरे में आती है। अगर विक्रेता द्वारा कर-योग्य अथवा सेवा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अग्रिम लिया जाता है, उस परिस्थिति में विक्रेता को "Receipt Voucher" जारी करना होगा।

अग्रिम लेने के पश्चात् अगर विक्रेता द्वारा कर—योग्य माल एवं सेवा Supply नहीं की जाती है एवं Tax Invoice जारी नहीं किया जाता उस दशा में विक्रेता को "Refund Voucher" क्रेता को जारी करना होगा। इकाईया सुनिश्चित करेंगे कि जारी किया जाने वाला Receipt Voucher & Refund Voucher क्रमवार क्रमांकित हो। Receipt Voucher & Refund Voucher का प्रारूप Annexure C.1 एवं C.2 में संलग्न है।

Reverse Charge Mechanism (RCM) :- Reverse Charge Mechanism (RCM) : ज्ञात हो कि जी०एस०टी० के अन्तर्गत मुख्यतः तीन बिन्दुओं .पर Reverse Charge Mechanism के अन्तर्गत जी०एस०टी० की देयता निगम की होगी :

1- वकीलों को किया जाने वाला भुगतान

2— Goods Transport Agency को होने वाला भुगतान

3- अपंजीकृत विक्रेता / सेवा प्रदाता को होने वाले भुगतान

अतः जी०एस०टी० के अन्तर्गत Work Contracts, Manpower Supply/Security Services, Cab सेवा इत्यादि पर RCM का प्रावधान लागू नहीं होगा।

निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन करना है :--

- सरकार एवं Local Authorities को भुगतान :—
 जी०एस०टी० के Notification No. 13/2017-CT(Rate) दिनांक 28.01.2017 के अनुसार सरकार एवं Local Authorities द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं पर RCM के तहत कर जमा करने एवं रिटर्न दाखिल करने का दायित्व सेवा प्राप्तकर्ता पर होगा।
 जात हो कि RCM केवल सेवा के भुगतान पर लागू है। अर्थात सरकार एवं Local Authorities को किसी भी प्रकार का भुगतान Tax, Cess & Levy के रूप मे दिया जाता है, तो जी०एस०टी० लागू नहीं होगा।
- RCM में किये भुगतानों के लिये दो प्रकार के Documents बनेंगे :
 (1) Purchase Voucher
 Purchase Voucher एवं Payment Voucher के प्रारूप Annexure D.1 एवं D.2

 में संलग्न है।

2. Input Tax Credit (ITC) :-

CGST Act 2017 की धारा 16 के अनुसार किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई कर—योग्य खरीदारियों / सेवाओं (Taxable Input Supply) पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० इन्पुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा। Reverse Charge Mechanism के अन्तर्गत भुगतान किया गया जी०एस०टी० एवं वस्तुओं / सेवाओं के आयात (Import of Goods and Services) पर भुगतान किया गया आई०जी०एस०टी० भी इन्पुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा।

इस इन्पुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को कर—योग्य वाह्य आपूर्ति (Taxable Outward Supply) पर कर—देयता के विरूद्ध सैट—ऑफ किया जा सकेगा। उपलब्ध इन्पुट टैक्स क्रेडिट निम्नलिखित 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा:—

a) Credit directly attributable towards exempt supplies:-चूंकि निगम का मुख्य कार्य (बिजली— उत्पादन) जी०एस०टी० से कर—मुक्त है इसीलिए वे खरीदारियां/सेवाएं जो विशेषकर बिजली उत्पादन, पारेषण, एवं वितरण से सम्बन्धित है, उन खरीदारियों/सेवाओं पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० आई०टी०सी० के रूप में उपलब्ध नहीं होगा।

b) Credit directly attributable towards taxable supplies:निगम द्वारा की गयी खरीदारियाँ/सेवाएं जो कि विशेषकर कर—योग्य वाह्य आपूर्ति (Taxable _
Outward Supply) से सम्बन्धित है, उन खरीदारियों/सेवाओं पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० आई०टी०सी० (ITC) के रूप में उपलब्ध होगा एवं कर—योग्य वाह्य आपूर्ति पर देय जी०एस०टी० के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

c) Common Credit :-

ऐसी खरीदारियाँ/सेवाएं जो कि कर—योग्य एवं कर—मुक्त वाह्य आपूर्ति दोनों के लिए सामान्य है, (जैसे—स्टेशनरी, ऑडिटर फीस, टेलीफोन व्यय इत्यादि) उन खरीदारियों/सेवाओं पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० कॉमन क्रेडिट की श्रेणी में आता है एवं इसका आई०टी०सी० कर—योग्य कुल बिक्री के अनुपात में उपलब्ध होगा।

d) Ineligible ITC :-

CGST Act 2017 की धारा 17 के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं / सेवाओं की खरीदारियों पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० आई०टी०सी० के रूप किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा—

- मोटर गाड़ी एवं अन्य वाहनों के क्रय पर
- खाद्य एवं पेय, वाह्य केटरिंग (खानपान), स्वास्थय सेवाओं पर
- किराए पर कैब (टैक्सी) सेवा पर
- कर्मचारियों के लिए जीवन और स्वास्थय बीमा पर
- अवकाश पर गए कर्मचारियों के यात्रा लाभ पर, जैसे अवकाश या घरेलू यात्रा रियायत पर (LTC)
- किसी अचल सम्पित्त (Plant & Machinery को छोड़कर) के निर्माण के लिए की गयी खरीदारियों / सेवाओं / वर्क कान्ट्रेक्ट सेवाओं पर

इकाईयाँ उपरोक्त सभी नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे एवं GSTR-2 के लिए Excel प्रारूप भरते समय सूचित करेंगे कि प्रत्येक खरीदारी/सेवाएं उपरोक्त में से किस श्रेणी में आती है।

जीoएसoटीo के पूर्व की तिथि के बीजक :— 30.06.2017 की तिथि तक के सभी बीजकों का भुगतान पुराने वैट (VAT), सर्विस टैक्स (Service Tax), इत्यादि के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। साथ ही 30.06.2017 तक प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं के जो बीजक जीoएसoटीo लागू होने के 30 दिन के अन्दर (30.07.2017 तक) प्राप्त होते है, उनका भुगतान भी उपरोक्त कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। जो भी बीजक 01.07.2017 अथवा उसके पश्चात प्राप्त सामग्री अथवा सेवा से सम्बन्धित होंगे, उनका भुगतान जीoएसoटीo के कानून के अन्तर्गत किया जाएगा।

पुराने अथवा नये बीजक, जिनका भुगतान 01.07.2017 को या उसके पश्चात होगा, उन पर WCT नहीं काटना है। पुराने बीजक जिसमें सर्विस टैक्स नियमों के Reverse Charge Mechanism के अनुसार टैक्स जमा करने का दायित्व निगम का है, उन बीजकों को इस माह के अन्त तक Account for कर दिये जायें एवं कर की राशि सरकार के खाते में जमा कर रिटर्न फाइल कर दिये जाये।

Anti profiteering clause: CGST अधिनियम 2017 की धारा 171 के अनुसार जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात कर की दरों में आई कमी का लाभ विक्रेता द्वारा क्रेता को मूल्यों में कटौती के रूप में दिया जाना है। अतः खण्ड/इकाई सुनिश्चित करेंगी कि पूर्व में निर्गत निविदाएं (जिनकी अवधि 01.07.2017 के पश्चात पूरी होगी) एवं नयी निविदाओं में निम्नलिखित Anti profiteering clause जोड़ा जाना चाहिए:

"As per section 171 of CGST Act 2017, Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. Hence supplier/manufacturer to ensure to pass the benefit of reduced prices to UPRVUNL. Further price quoted by supplier/manufacturer is subject to scrutiny under above section."

जीoएसoटीo-टीoडीoएसo : जीoएसoटीo अधिनियम के अन्तर्गत जीoएसoटीo टीoडीoएसo के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए है। अतः इकाईयों/खण्डों द्वारा 01.07.2017 से कराये जाने वाले कार्यों के भुगतान पर फिलहाल जीoएसoटीo टीoडीoएसo की कटौती नहीं की जानी है।

जीoएसoटीo देयता के भुगतान हेतु लेखा कोड : जीoएसoटीo अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादन निगम मे जीoएसoटीo की देयता किये जाने हेतु कारपोरेट लेखा इकाई द्वारा निम्नलिखित लेखा शीर्ष आवंटित किये गये है।

वस्तुओ हेतु (For Goods)

Liability For Payment of CGST on Goods: 46.941 Liability For Payment of SGST on Goods: 46.942 Liability For Payment of IGST on Goods: 46.943

सेवाओ हेतु (For Services)

Liability For Payment of CGST on Goods: 46.944 Liability For Payment of SGST on Goods: 46.945 Liability For Payment of IGST on Goods: 46.946

विविध बिन्दु :-

- CBDT द्वारा जारी किये गये Circular No. 23/2017 दिनांक 19.07.2017 के अनुसार आयकर के प्रावधानों के अनुसार टी०डी०एस० की कटौती की जायेगी परन्तु उसमें जी०एस०टी० की धनराशि जोड़ कर कटौती नहीं की जायेगी। (उक्त Circular की छायाप्रति Annexure E संलग्न है)
- मिश्रित एवं समग्र आपूर्ति (Mixed & Composite Supply) : मिश्रित एवं समग्र आपूर्ति पर विस्तृत जानकारी उदाहरण सहित Annexure F में संलग्न है।
- इकाईयाँ / खण्ड एवं कार्यालयों के लिए यह उचित होगा कि निगम का जी०एस०टी० रिजस्ट्रेशन नं0 09AAACU4749D2Z9 निगम के Letter Head पर उल्लिखित किया जायें।

जी०एस०टी० से सम्बन्धित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कर सलाहकार मेसर्स सागर विपाठी एण्ड एसोसिएटस एवं जी०एस०टी० सैल मुख्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है जिनके दूरभाष नं0, ई०मेल० आई०डी० निम्नलिखित है :

M/s Sagar Tripathi & Associates	casagartripathi@gmail.com
GST Cell Head Office	sao.fianace@uprvunl.org cm.cmu@uprvunl.org

मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सैल द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त दिशा—निर्देश निगम की वेबसाइट (www.uprvunl.org) पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

संलग्नकः—यथोपरोक्त

(एस०के० बाजपेई) उप महाप्रबन्धक(लेखा)

पत्र सं0: /मु०म०प्र०(वित्त)/जी०एस०टी० सैल/2017-18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- महाप्रबन्धक (प्रशासन) तापीय परियोजना अनपरा/ओबरा/पनकी/पारीछा/हरदुआगंज।
- महाप्रबन्धक (प्रशासन) मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
 उपरोक्त जी०एस०टी० दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित इकाईयों को अपने स्तर से निर्देशित करना चाहें।
- 3. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा 'अ' / 'ब' / 'द' तापीय परियोजना, अनपरा ।
- 5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, ओबरा 'अ' तापीय परियोजना, ओबरा।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी, ओबरा 'ब' तापीय परियोजना, ओबरा।
- 7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पनकी तापीय परियोजना, पनकी, कानपुर।
- 8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पारीछा / पारीछा विस्तार तापीय परियोजना, पारीछा, झांसी।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी, हरदुआगंज / हरदुआगंज विस्तार तापीय परियोजना, हरदुआगंज, कासिमपुर।
- 10. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

11 मुख्य अभियन्ता (प्रगति), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरोक्त

(एस०कें० बाजपेई)

उप महाप्रबन्धक(लेखा)

Annexure A

Company Logo					(NAM		CON				198			
			Tel: GSTIN:											
				121	1	`ax	Inv	70	ice					
Invoi	ce No:					V-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	Transpo	rt Mo	de:					
-	ce date:						Vehicle i	numb	er:					
	everse Charge (Y/N):					Date of				1100000				
State	21		_		Code		Place of Supply							
(Cersea)	0.0000000000000000000000000000000000000	i Sing pill	to Pa	vet (ensemble and	57825-110240s	(2)(2340+1-252)	(Chabille	SACHERADOR ST	Sec.	to Party	CSERVE	DELEGE AND	C 40 Colonia de
Nam	A CONTRACTOR OF STREET	DIII	to Pa	пту	The Marie State	2000000	Name:		CENTER OF THE	Sink	to Party	2002000	2004/00/05	To Marie Co.
Addr				===0			Address							-
GSTI	N:	- 655					GSTIN:		- 12 V			= 0.00		
State	e:				Code		State:							9
S. No.	Product	HSN	Qty	Rate	Amount	Discount	Taxable	36E	CGST		SGST	1888	IGST	Total
2000	Description	code	A14.	900 A	Section 2	Control of	Value	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	经 等
			-			_				-		-	-	
							-				-	-		
-			-									_		
			\vdash			-						1		
					- X						Darie San			
_			-									-		
_		_	-		-			_		_	·/	-	_	-
transacci	UDATE PROMINENCE OF THE PROMINENCE OF T	200000400	5		-	-		-		-		-	1	
	Tota	L					1			1		1		
198	9-1-1-20	Total In	voice	amoui	nt in words	16.000	100	Tota	Amount	before	Tax	340		
								Add	: CGST					
l									: SGST					
ı									I Tax Amo					
V/604000	DESCRIPTION OF STREET	w Million and	Common Service	ecs of period				_	al Amount	_		DOMESTIC OF THE PARTY OF THE PA	CONTRACTOR OF STREET	
CONTRACT	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Details	1000					GST	on Revers		Control of the Control of the Control			4
_	k A/C: k IFSC:				-			ं	Centilied th		oticulars given ab			orrect
ban	Terms &	condisi	one		4					ror	(Name of Cor	npan	Y /	
	remis &	conuiti	UIIS											
1					Co	mmon S	leal	1		Δ.	thorised sign	atom		

Annexure A

Company Logo	(NA) Tel: GSTI	(ADI	OF CO	MPANY) F UNIT)	
第二字	Bil	lof	Supp	olv	
Invoice No:		elikus spr	CIAMORE AND AND A	State:	Constitution and Constitution
Date of Issue:				State Code:	
Dillian Const	National Control of the Control	appropriate	Indian control		
Name:			Name	Ship	to Party
Address:			Name: Address:		
900.00.00.00.00.00					
GSTIN/UIN:	GSTIN:				
State:	Code		State:		Code
Sr.No Production Description	QTY	Rate	Amount	Discount	Value of supply
			0		0
		_	0		0
			0		0
			0		0
			0		0
			0		0
			0		0
			0		0
			0		0
TOTAL	200000		0		0
IOIAL	0		0		0
***	Total In	voice .	Amount (II	n words)	
Bank Details			T		iculer given above are ture and correct
Bank A/C: Bank IFSC:				For (N	ame of Company)
Terms & Conditions					
	Comn	an Se	eal	Autho	rised Signatory

Annexure C

(NAME OF COMPANY) (ADDRESS OF UNIT) Company Tel: Logo GSTIN: **Payment Voucher Details Of Supplier** Voucher Number: Voucher Date: Name: Place of Supply: Address: GSTIN: State: Code State: Code Description of HSN CGST SGST Taxable Total Amount Product/Service Codes Value Rate Amount Rate Amount Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 Total Amount paid (In words) Total Amount before tax of titled that the particular given above are ture and correct For (Name of Company) Add: CGST 0 Add: SGST 0 Total Tax Amount (GST) 0 **Authorised Signatory** Common Seal Total Amount After Tax

Annedouse - D

FORM GSTR-3B

[See rule 61(5)]

		₽ 6	Year Month
1.	GSTIN		
2.	Legal name of the register	red person Anto Pyga	6060

3.1 Details of Outward Supplies and inward supplies liable to reverse charge

Nature of Supplies	Total Taxable value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
The second secon	2	100000	Sales Bas	5000	6
 (a) Outward taxable supplies (other than zero rated, nil rated and exempted) 			2250000000000000	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	1000
(b) Outward taxable supplies (zero rated)					
(c) Other outward supplies (Nil rated, exempted)					
(d) Inward supplies (liable to reverse charge)					
(e) Non-GST outward supplies					

3.2 Of the supplies shown in 3.1 (a) above, details of inter-State supplies made to unregistered persons, composition taxable persons and UIN holders

	Place of Supply (State/UT)	Total Taxable value	Amount of Integrated Tax
1	2	3	4
Supplies made to Unregistered Persons			
Supplies made to Composition Taxable Persons	- 1		
Supplies made to UIN holders			

4. Eligible ITC

Details	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	500000000000000000000000000000000000000	00000 00000	ASSESSMENT SENSON	000000-0000
(A) ITC Available (whether in full or part)		100000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	
(1) Import of goods	Part 1		-	
(2) Import of services				
(3) Inward supplies liable to reverse charge (other than 1 & 2 above)				
(4) Inward supplies from ISD		15.5		
(5) All other ITC				
(B) ITC Reversed				
(1) As per rules 42 & 43 of CGST Rules				
(2) Others				
(C) Net ITC Available (A) - (B)				
(D) Ineligible ITC				
(1) As per section 17(5)				
(2) Others				

Values of exempt, nil-rated and non-GST inward supplies

the state of the s	CASE AND ADDRESS OF THE PARTY O	
Nature of supplies	Inter-State supplies	Intra-State supplies
		and a otate supplies
	2	1

From a supplier under composition scheme, Exempt and Nil rated supply	
Non GST supply	

6.1 Payment of tax

Description	Tax	Paid through ITC				Tax paid	Tax/Cess	Interest	Late
	payable	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess	TDS./FCS			Fee
1	2	A.Co.	4	5	6	100007100000	Y	0	SOUR FORES
Integrated Tax					2		**************************************	CONTRACTOR (CO.)	2000445660
Central Tax	V	- 18 mg	S - 25 - 25 -	Contract of the					
State/UT Tax			12.35 May	1000000					
Cess		SOURSON		NAME OF TAXABLE PARTY.		22.000			
			1254						

6.2 TDS/TCS Credit

Details	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax
TDS	3	.5	4
TCS			

Verification (by Authorised signatory)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Instructions:

- 1) Value of Taxable Supplies = Value of invoices + value of Debit Notes value of credit notes + value of advances received for which invoices have not been issued in the same month value of advances adjusted against invoices
- 2) Details of advances as well as adjustment of same against invoices to be adjusted and not shown separately
- 3) Amendment in any details to be adjusted and not shown separately.



Annexure - B

TAX INVOICE, CREDIT AND DEBT NOTES

1. GST Tax invoice formal Rules

Subject to rule 7, a tax invoice referred to in section 31 shall be issued by the registered person containing the following particulars:-

- (a) name, address and GSTIN of the supplier;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/" respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) date of its issue;
- (d) name, address and GSTIN or UIN, if registered, of the recipient;
- (e) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of State
 and its code, if such recipient is un-registered and where the value of taxable supply is fifty
 thousand rupees or more;
- (f) HSN code of goods or Accounting Code of services;
- (g) description of goods or services;
- quantity in case of goods and unit or Unique Quantity Code thereof;
- total value of supply of goods or services or both;
- taxable value of supply of goods or services or both taking into account discount or abatement, if any;
- (k) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- amount of tax charged in respect of taxable goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (m) place of supply along with the name of State, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce;
- address of delivery where the same is different from the place of supply;
- (o) whether the tax is payable on reverse charge basis; and
- signature or digital signature of the supplier or his authorized representative:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, specify -

- (i) the number of digits of HSN code for goods or the Accounting Code for services, that a class of registered persons shall be required to mention, for such period as may be specified in the said notification, and
- (ii) the class of registered persons that would not be required to mention the HSN code for goods or the Accounting Code for services, for such period as may be specified in the said notification;

Provided further that where an invoice is required to be issued under clause (f) of sub-section (3) of section 31, it shall bear the signature or digital signature of the recipient or his authorized representative:

de

Provided also that in case of export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement "SUPPLY MEANT FOR EXPORT ON PAYMENT OF INTEGRATED TAX" or "SUPPLY MEANT FOR EXPORT UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX", as the case may be, and shall, in lieu of the details specified in clause (e), contain the following details:

- (i) name and address of the recipient;
- (ii) address of delivery; and
- (iii) name of the country of destination:

Provided also that a registered person may not issue a tax invoice in accordance with the provisions of clause

- (b) of sub-section (3) of section 31 subject to the following conditions, namely:-
 - (a) the recipient is not a registered person; and
 - (b) the recipient does not require such invoice, and shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies.

2. Time limit for issuing tax invoice

The invoice referred to in rule 1, in case of taxable supply of services, shall be issued within a period of thirty days from the date of supply of service:

Provided that where the supplier of services is an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, the period within which the invoice or any document in lieu thereof is to be issued shall be forty five days from the date of supply of service:

Provided further that an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, or a telecom operator, or any other class of supplier of services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, making taxable supplies of services between distinct persons as specified in section 25, may issue the invoice before or at the time such supplier records the same in his books of account or before the expiry of the quarter during which the supply was made.

3. Manner of issuing invoice

- (1) The invoice shall be prepared in triplicate, in case of supply of goods, in the following manner:-
 - the original copy being marked as ORIGINAL FOR RECIPIENT;
 - (b) the duplicate copy being marked as DUPLICATE FOR TRANSPORTER; and
 - (c) the triplicate copy being marked as TRIPLICATE FOR SUPPLIER.
- (2) The invoice shall be prepared in duplicate, in case of supply of services, in the following manner:-
 - the original copy being marked as ORIGINAL FOR RECIPIENT; and
 - (b) the duplicate copy being marked as DUPLICATE FOR SUPPLIER.
- (3) The serial number of invoices issued during a tax period shall be furnished electronically through the Common Portal in FORM GSTR-1.

4. "Bill of supply

A bill of supply referred to in clause (c) of sub-section (3) of section 31 shall be issued by the supplier containing the following details:-

A



100	Company Logo	Tel:			(ompa s of Unit							el el	
		GST					10									
						(Cre.	dit N	lot	e				1977	d-Ya	
Doc	ument No:		9553	0892	9323		二人的 和多数的概念	Against inv	20000 E			43 SEE 246	50795602-00	nitational .	ALCO SE	HC 17 1981.
	e of issue:							Date of Inv					-6.72			est.
Stat	The second secon					Code									-1/1/7	V=050
Sitate		01	a so	lartu	M199	47704650	8825-0428S	NICKS STATE	Mane of	SERVED IN	Sh	ip to Par	tv	89.3	9.72.233	VISSE.
Nan	500 E689, 459 VIOLETS	Virgini DI	His Oct	OI LY	STATE OF STREET	60-300@BTD-63	885250 NSC10	Name:	SOMEONY	niversity soremen		C. British Control				
water, T	Iress:			-		-		Address:								
GST	TIM:							GSTIN:								
Stat			Ž.	urana		Code	Г	State:							Code	
	Donal de louis de la constitución de	I manifesto	Demoi Co.	Secre	Insertance	Trick and the same	Fernanda Servica	Tatas sanga.	Enustres	IGST	Locators	CGST	Inches (SST	1957578	阿里斯尔
S. No.	Product Description	HSN	UOM	Qty	Rate	Amount	Discount	Taxable Value	Rate.	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	To	tal
N. LEPR	POTENTIAL EL ARCHEON	A CALLANDIA	SSKS-SE.	POSESSON.	200000	000000000			7777		0.0000					0.000
Ĭ.		-														
100					1 T			Jan 1811	_			1	_	ļ	ł	-
					_				1				-	 	-	
			-	-	-	-					-	\vdash	-	-	1	
_			-	-	-			_	-			1			- L 101	
				-	-		1		-	0.0						
-		-					1	-						1	No.	
5		1		-	-		1		-		100					
-				i					- 97							
									-2:00	1					-	
	Tota	1														
9.39	725 W. L.	Т	otal a	mou	nt in w	ords	OF STREET		Total	Amount	befor	е Тах				
14.50								01	Add:	CGST						
Vi.								_	SGST					1	- 100	
									Tax Amo		29.90000	SHEET S	SERVICE STATE			
		03891		77.67.74	Country of				Total	Amount		Tax:			and corre	e)
-	Ban	Deta	Is	2000	30000				1	Geritified		or (Name			and rouse	35
_	nk A/C:					-					F	or (ivaine	or com	hanyl		
Bar	nk IFSC: Terms &	. send	itions	_		1										
	i erms a	cond	itions	-					1							
							Common	Seal	1			Authoris	ed signa	tory	-	



Authorised signatory

(Name of Company) (Address of Unit) Company Logo Tel: GSTIN: **Debit Note** Against invoice: Document No: Date of Invoice: Date or issue: Code State: Ship to Party Bill to Farty Name: Name: Address: Address: GSTIN: GSTIN: State: Code State: Code CGST IGST Total Product Description NOM Amount Rate Amount Rate Amount Total Total amount in words Total Amount before Tax Add: CGST Add: SGST Total Tax Amount Tota: Amount after Tax: Bank Details Ceritified that the particulars given above are true and correct Bank A/C: For (Name of Company) Bank IFSC: Terms & conditions

Common Sea!

		Name				Pa.	01					
		(Ad	dres	s of Uni	t)							
Company	2.		Ĭ.							10		
Logo Te GS	l: TIN:		V.			200			9			
		ESC CHEEK HIS BANCON		N. V. STORMAN		para di Contro	8021950	1940 (4.5)	35.74			
		Rec	eip	t Vo	ucl	ner			4.4	. M		
Voucher Number:	_					Detai	ls Of F	Receiver	December 110			
Voucher Date:				Name:					W-101	- 12		
Place of Supply:				Address:								
Reverse Charge (Y/N):												
		=14000		GSTIN:								
State: Code				State: Code								
Description of HSN		Taxable	165 35	IGST	CGST		SGST		Total A	dvance		
Product/Service	Codes	Value	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	Received			
	-		-									
	-	-			-				en in output			
Total				V						988		
		Total A	dvand	e Receive	d (In w	ords)		No. of the last of				
M-TANCHLAN SAN												
Certified that the particular given above are t	Certifolied that the particular given above are ture and correct				Total Amount before tax							
For (Name of Company)			Add: CGS		L-Sum							
ANC:				Add: SGS								
				Total Tax								
50 - Commence Autor 2016-9-1	*****			Total Amount After Tax								
Authorised Signatory Common Sea			n Seal	GST on Reverse Charge								



	9	(Name			any	7)			-						
Company Logo Tel GS	: rin:			0 522											
7-19		Re	fun	d Vo	ouc	her									
Voucher Number:							D	etails Of Recei	ver						
Voucher Date:	8337			10/50/	à.	Name:									
Against Receipt Voucher No: Date of Receipt Voucher							Address:								
Reverse Charge (1/14).	teverse Charge (Y/N):								GSTIN:						
State:		Code			3-4	State: Code									
						3/2 L25/4/7/65	Issuero	NAME OF THE OWNER OF THE OWNER.	Total Amount						
Description of Product/Service	HSN Codes	Taxable Value	41. 7	Amount	FT 700	Amount	Rate	SGST Amount	Refunded						
				2											
Total		1													
1041	346 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tota	i Amou	ant Refund	led (In	words)		## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	,						
centifier that the particular dremature no to						Total Amount before tax Add: CGST Add: SGST . Total Tax Amount (GST) Total Amount After Tax									
Authorised Signatory Common Seal						GST on Reverse Charge									



(NAME OF COMPANY) (ADDRESS OF UNIT) Company Logo Tel: GSTIN: Self Invoice (Purchase Voucher) Transport Mode: Voucher No: Vehicle number: Voucher date: Date of Supply: Reverse Charge (Y/N): Place of Supply Code State: Ship to Party Bill to Party Name: Name: Address: Address: GSTIN: GSTIN: State: Code State: CGST Taxable Product Description HSN. Total Value Rate Amount Total Total amount in words Total Amount before Tax Ceritified that the particulars given above are true and correct Add: CGST For (Name of Company) Add: SGST Total Tax Amount Total Amount after Tax: GST on Reverse Charge Authorised signatory

68		(NAM)		F CON							
Company Logo		Tel: GSTIN:		3							
		Payn	ner	it Vo	uc	her			Marie Carre		
Voucher Number:	- 2012/01/2017					Detai	ls Of S	upplier			
Voucher Date:		-07Ksm= -		Name:							
Place of Supply:				Address:		550-010-0-10-0					
State:		Code	1-2-2	GSTIN: State:					Code		
					10						
Description of	HSN	Taxable Value		IGST	CGST		-	SGST	Total Amount		
Product/Service	Codes		Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount		Paid	
	-						-	15			
Total	The second Secon		-	William Control							
		Total	Amou	ITatal Am							
Centified that the particular given above are ture and correct For (Name of Company)			10		Total Amount before tax Add: CGST Add: SGST						
200	25 26-27-28-27-28-27-28-27-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-			Total Tax Amount (GST)							
Authorised Signa	Common	Common Seal		Total Amount After Tax							

Had

CIRCULAR No. 23 / 2017

F. No. 275/59/2012-TF (B)
Government of India/ भारत सरकार
Ministry of Finance/ वित्त मंत्रालय
Dypartment of Revenue/(राजस्व विभाग)
Central Board-of Direct Taxes/(केन्द्रीय प्रसंक्ष कर बोर्ड)

North Block, New Delhi 19th July, 2017

Subject: Modification of Circular No. 1 of 2014 in view of substitution of Service Tax by Goods and Services Tax (GST).

The Central Board of Direct Taxes (the Board) had earlier issued Circular No. 1/2014 dated 13.01.2014 clarifying that wherever is terms of the agreement or contract between the payer and the payee, the Service Tax component comprised in the amount payable to a resident is indicated separately, tax shall be deducted at source under Chapter XVII-B of the Incometax Act, 1961 (the Act) on the amount paid or payable without including such Service Tax component.

- References have been received in the Board seeking clarification as to what treatment
 would be required to be given to the component of Goods and Services Tax (GST) on services,
 which has been introduced by the Government with effect from 1st of July, 2017 and into which
 the erstwhile Service Tax has been subsumed.
- 3. The matter has been examined. It is noted that the Government has brought in force a new Goods and Services Tax regime with effect from 01.07.2017 replacing, amongst others, the Service Tax which was being charged prior to this date as per the provisions of Finance Act, 1994. Therefore, there is a need to harmonize the contents of Circular No.1/ 2014 of the Board with the new system for taxation of services under the GST regime.
- 4. In the light of the fact that even under the new GST regime, the rationale of excluding the tax component from the purview of TDS remains valid, the Board hereby clarifies that wherever in terms of the agreement or contract between the payer and the payee, the component of 'GST on services' comprised in the amount payable to a resident is indicated separately, tax shall be deducted at source under Chapter XVII-B of the Act on the amount paid or payable without including such 'GST on services' component. GST for these purposes shall include Integrated Goods and Services Tax, Central Goods and Services Tax, State Goods and Services Tax and Union Tarritory Goods and Services Tax.

- For the purposes of this Circular, any reference to 'service tax' in an existing agreement or contract which was entered prior to 01.07,2017 shall be treated as 'GST on services' with respect to the period from 01.07.2017 onward till the expiry of such agreement or contract.
- Hindi version shall follow.

(Sandeep Singh)

Under Secretary to the Government of India

Tele: 23094182

Email: Sandcep.singh68@nic.in

Copy to:

- Chairman and all Members of CBDT.
- 2. All Principal Chief Commissioners and Principal Directors General of Income
- Pr. DGIT (Systems) and Pr. DGIT (Admin.).
 All Joint Secretaries and Commissioners in CBDT.
- 5. Additional Directors General (TPS-I) and (PR,PP&OL).
- 6. Cemmissioner (CPC-TDS).
- Web Menagers of irsofficersonline gov in and incometaxindia gov in for placing the Circular on the respective portal.
- Office of Comptroller & Auditor General of India (30 copies).
- 9. Guard file.

Add

जीएसटी में मिश्रित और समग्र आपूर्ति को समझना

यि आप आज बाजार को देखते हैं तो आप कई बार दो या दो से अधिक सामान या माल और सेवाओं का संयोजन देखेंगे जिनकी साथ-साथ आपूर्ति की जाती है। यह निम्न कारणों से हो सकता है:

- बिक्री रणवीति अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए
- यह तुओं या सेवाओं की प्रकृति या प्रकार, जिसके लिए उन्हें एक साथ बंडल या आपूर्ति की आवश्यकता है। सेवा कर के तहत इस तंत्र को बंडल सेवा कहा जाता है – जो कि सेवाओं की सेवा के अन्य तत्वों के साथ सेवा या सेवाओं का प्रस्तुतीकरण है। संशोधित मॉडल ड्राफ्ट जीएसटी कानून के अंतर्गत दो या अधिक माल या सेवाओं के आपूर्ति या माल और सेवाओं के संयोजन के साथ बंडल किए गए आपूर्ति को विशिष्ट विशेषताओं के साथ वर्गीकृत किया जाता है:
- मिश्रित आपूर्ति
- समग्र आपूर्ति

मिश्रित आपूर्ति

माल या सेवाओं की दो या अधिक वैयव्तिक या माल और सेवाओं के किसी भी संयोजन की आपूर्ति को एक मूल्य के लिए कर योग्य व्यक्ति दवारा मिश्रित आपूर्ति कहा जाता है।

मिश्ति आपूर्ति में वस्तुओं और/या सेवाओं का संयोजन प्राकृतिक आवश्यकताओं के कारण बंडल नहीं किया जाता है और उनकी सामान्य व्यापार में व्यक्तिगत तौर पर आपूर्ति की जा सकती है।

मिश्रित आपर्ति का निर्धारण करना

आइए हम एक उदाहरण के साथ इसे समझैं।

एक किट पर विचार करें जिसमें एक टाई, एक घड़ी, एक बटुआ और एक कलम शामिल है जो 4,500 रूपए के लिए है तथा कॉम्बों के रूप में हैं।

उदाहरण के अनुसार,

- टाई, घड़ी, वॉलेट, और कलम को एक किट के रूप में बंडल किया जाता है
- एक टाई की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से अन्य तत्वों(घड़ी, बटुआ, कलम) की आपूर्ति को आवश्यक नहीं बनाता है और इसके विपरीत भी उतना ही सही है |
- प्रथक मृल्य के लिए किट की आपूर्ति की जाती है।
 इसलिए, इस किट की आपूर्ति मिश्रित आपूर्ति है।

मिलित आपूर्ति पर कर दायित्व

माल और क्षेत्राओं के संयोजन में सिश्रित आपूर्ति पर कर दायित्व की गणना के लिए उच्चतम दर के टैक्स को आकर्षित करने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर लागू कर की दर पर विचार किया जाएगा। हम फिर से किट के उदाहरण पर विचार करते हैं।

Sec. 25	टैक्स की दर *
उत्पाद	टक्स का दर
टाई	12%
घड़ी	18%
बदुआ	12%
कलम	5%

^{*} सांकेतिक दर्रे

इस मामले में घड़ी मिश्रित आपूर्ति में उच्चतम कर की दर को आकर्षित करती है अर्थात 18% इसलिए मिश्रित आपूर्ति पर 18% कर लगाया जायेगा|

समग्र आपृति

वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को की जाती है. और:

- इसमें सामान या सेवाओं की दो या अधिक आपूर्तियां शामिल हैं, या
- सामान्य व्यापार में माल और सेवाओं का संयोजन जिनकी स्थाभाविक रूप से बंडल और आपूर्ति की जाती हैं।
 इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक जरूरतों के कारण सामान और सेवाएं दंडल किया जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आपूर्ति में तत्व वस्तुओं या सेवाओं के 'प्रमुख आपूर्ति' पर निर्भर तत्व हैं।

मुख्य आपूर्ति क्या है?

वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में पूर्व-प्रभावी तत्य, जो समग्र आपूर्ति बनांते हैं, मुख्य आपूर्ति हैं। और अन्य निर्भर आपूर्ति, जो समग्र आपूर्ति का हिस्सा बनती है, मुख्य आपूर्ति के लिए उ्वितीयक होती है।

समग्र आपूर्ति का निर्धारण

हम एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं|

मुंबई में एक 5-सितारा होटल 4 दिन/3 रातों का पैकेज नारते के साथ प्रदान करता है। यह सुविधाओं के पैकेज के तौर पर एक समग्र आपूर्ति है और नाश्ता एक होटल के लिए सामान्य व्यापार में प्राकृतिक संयोजन है। इस मामले में होटल आवास प्रमुख आपूर्ति है और नाश्ता होटल के आवास के लिए सहायक है।2. मुंबई में 5 सितारा होटल नाश्ता और एक दिल मुंबई दर्शन के साथ एक 4 दिल / 3 रातों का पैकेज प्रदान करता है। इस पैकेज में मुंबई दर्शन को शामिल करना होटल में आवास की स्वाभाविक आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह समग्र आपूर्ति नहीं कहलाती है। यह मिश्रित आपूर्ति है|3. बैंग के साथ लेपटॉप की बिक्री- यह एक समग्र आपूर्ति है क्योंकि लेपटॉप ले जाने के लिए बैंग प्राकृतिक आवश्यकता है। लेकिन अगर ग्राहक पिटठू बैंग जैसे बहुउदेशाय बैंग का विकाप चुनते हैं तो यह एक समग्र आपूर्ति नहीं है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से बंडल नहीं है।

समग्र आपूर्ति का कर दायित्व

टैक्स देयता की गणना के उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मुख्य आपूर्ति पर लागू कर की दर समग्र आपूर्ति पर लागू होगी। आइए हम एक ही उदाहरण पर विचार करें,

मुंबई में एक 5 सितारा होटल नाश्ते के साथ 4 दिन / 3 रातों का पैकेज प्रदान करता है। मान लीजिए, होटल के आवास में 18% टैक्स और रेस्टोरेंट सेवा 12% कर आकर्षित करती है।

उदाहरण के अनुसार होटल आवास की प्रमुख आपूर्ति है और संपूर्ण आपूर्ति पर 18% कर आरोपित है।

व्यवसायों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मिश्रित आपूर्ति और समग्र आपूर्ति की अवधारणाओं के संदर्भ में माल और सेवाओं को तैयार करने के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आपूर्ति के एकार और उनके पुन: आकलन को देखें |